

## रंगनाथ रपिोर्ट और धर्मांतरति दलतियों के लयि आरक्षण

### प्रलिमिंस के लयि:

[अनुसूचति जातकी मानयता हेतु मानदंड](#), 1950 का संवधान (अनुसूचति जात) आदेश, भारत का महारजसिटरार

### मेन्स के लयि:

अनुसूचति जातके दर्जे के लए मानदंड और दलति ईसाइयों एवं मुसलमानों को शामिल करने के पक्ष व वपिकष में तरक

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने धार्मकि और भाषायी अल्पसंख्यकों के लयि न्यायमूर्ति रंगनाथ मशि्रा आयोग की वर्ष 2007 की एक रपिोर्ट का पुनः अवलोकन कयिा, जसिमें ईसाई और इस्लाम में परविरतति दलतियों के लयि [अनुसूचति जात \(SC\) आरक्षण](#) की सफिरशि की गई थी ।

- केंद्र ने इस रपिोर्ट को खारज़ि कर दयिा था , लेकिन शीर्ष न्यायालय का मानना है कि इसमें मौजूद जानकारयिों महत्त्वपूर्ण हैं जनिका उपयोग यह नरिधारति करने में मदद कर सकता है कि वर्ष 1950 के संवधान आदेश के अनुसार अनुसूचति जात विरग से धर्मांतरति दलतियों को बाहर करना असंवैधानकि है अथवा नहीं ।

## नोट:

- मशि्रा रपिोर्ट को खारज़ि करते हुए सरकार ने हाल ही में एक पूर्व न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता में नया आयोग गठति कयिा था । सरकार ने "ऐतहासकि रूप से अनुसूचति जातयिों से संबंध रखने वाले परंतु हदि, बौद्ध और सखि धर्म के अतरिकित अन्य धर्मों में परविरतति होने वाले" लोगों को अनुसूचति जात का दर्जा देने के सवाल पर एक रपिोर्ट तैयार करने के लयि दो वर्ष का समय दयिा ।
- इस रपिोर्ट को खारज़ि करने के पीछे केंद्र का तरक है कि "ऐसे दलति जो जात के कारण होने वाली समस्याओं को दूर करने के लयि ईसाई अथवा इस्लाम में परविरतति हो गए हैं, वे उन लोगों द्वारा प्राप्त आरक्षण लाभों का दावा नहीं कर सकते हैं जिन्होंने हदि धार्मकि व्यवस्था में बने रहने का वकिल्प चुना है ।"

## रंगनाथ रपिोर्ट के मुख्य बदि:

- धार्मकि और भाषायी अल्पसंख्यकों के लयि न्यायमूर्ति रंगनाथ मशि्रा आयोग की वर्ष 2007 की रपिोर्ट में ईसाई तथा इस्लाम धर्म में धर्मांतरति होने वाले दलतियों हेतु अनुसूचति जात आरक्षण प्रदान कयिे जाने की सफिरशि की गई थी ।
- दलति ईसाइयों और मुसलमानों को न केवल अपने धर्म के उच्च जात के सदस्यों से बल्कि व्यापक हदि-वर्चस्व वाले समाज से भी भेदभाव का सामना करना पडता है ।
- ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाते वाले दलतियों को SC श्रेणी से बाहर रखना समानता की संवैधानकि गारंटी का उल्लंघन है तथइन धर्मों के मूल सिद्धांतों के खलिाफ है, जो जातगित भेदभाव को अस्वीकार करते हैं ।
- ईसाई और इस्लाम धर्म में धर्मांतरति होने वाले दलतियों को SC का दर्जा देने से इनकार करने के कारण वे सामाजकि-आर्थकि और शैक्षकि रूप से पीछे रह गए हैं तथा उन्हें शकिषा एवं रोजगार के अवसरों में आरक्षण तक पहुँच से वंचति कयिा गया है (जैसा कि [अनुच्छेद 16](#) के तहत प्रदान कयिा गया है) ।

## वर्ष 1950 के संवधान आदेश में कौन शामिल हैं?

- अधनियम पारति होने पर [1950 का संवधान \(अनुसूचति जात\) आदेश](#) शुरू में केवल हदिओं को अनुसूचति जात के रूप में मान्यता देने के लयि

- प्रदान किया गया था, ताकि असंपृश्यता के कारण उत्पन्न होने वाली सामाजिक अक्षमता को दूर किया जा सके।
- इस आदेश में वर्ष 1956 में संशोधन किया गया था ताकि सिख धर्म अपनाने वाले दलितों को इसमें शामिल किया जा सके तथा वर्ष 1990 में एक बार फरि बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलितों को इसमें शामिल करने हेतु संशोधन किया गया।
    - दोनों संशोधनों को वर्ष 1955 में काका कालेलकर आयोग और वर्ष 1983 में क्रमशः अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर उच्चाधिकार प्राप्त पैनल (HPP) की रिपोर्टों से सहायता मिली थी।
  - 1950 का आदेश (1956 और 1990 में संशोधन के बाद) यह अनविरय करता है कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध नहीं है, उसे अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

## दलित ईसाइयों और मुसलमानों को बाहर रखने का कारण:

- अनुसूचित जाति की जनसंख्या में वृद्धि से बचने हेतु: भारत के महापंजीयक (RGI) कार्यालय ने सरकार को आगाह किया था कि अनुसूचित जाति का दर्जा असंपृश्यता की प्रथा (जो कि हिंदू और सिख समुदायों में प्रचलित थी) से उत्पन्न होने वाली सामाजिक अक्षमताओं से पीड़ित समुदायों के लिये है।
  - यह भी उल्लेख किया गया कि इस तरह के कदम से देश भर में अनुसूचित जाति की आबादी में काफी वृद्धि होगी।
- विधि नृजातीय समूह जिन्होंने धर्मांतरण किया: RGI के अनुसार, वर्ष 2001 में इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाले दलित किसी एक नृजातीय समूह से नहीं बल्कि अलग-अलग जातिगत समूहों से संबंधित हैं।
  - इसलिये उन्हें अनुच्छेद 341 के खंड (2) के अनुसार अनुसूचित जाति (SC) की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस सूची में शामिल किये जाने हेतु एकल जातीय समूह से संबंधित होने की आवश्यकता होती है।
- असंपृश्यता अन्य धर्मों में प्रचलित नहीं: RGI ने आगे कहा है कि चूंकि "असंपृश्यता" की प्रथा हिंदू धर्म और इसकी शाखाओं की एक विशेषता थी ऐसे में दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को SCs के रूप में सूचीबद्ध करने किये जाने की अनुमति को "अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत समझा जा सकता है" और यह माना जा सकता है कि भारत ईसाइयों तथा मुसलमानों पर "अपनी जाति व्यवस्था को थोपने" की कोशिश कर रहा है।
  - वर्ष 2001 के नोट में यह भी कहा गया है कि दलित मूल के ईसाई और मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन के माध्यम से अपनी जातिगत पहचान खो दी थी और उनके नए धार्मिक समुदाय में असंपृश्यता की प्रथा प्रचलित नहीं है।

## भारत का महापंजीयक:

- भारत का महापंजीयक की स्थापना वर्ष 1961 में गृह मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा की गई थी।
- यह भारत की जनगणना और भारतीय भाषाई सर्वेक्षण सहित भारत के जनसांख्यिकीय सर्वेक्षणों के परिणामों की व्यवस्था, संचालन एवं विश्लेषण करता है।
- महापंजीयक का पद सामान्यतः एक सविलि सेवक के पास होता है जो संयुक्त सचिव का पद धारण करता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. वर्ष 2001 में आर.जी.आई. ने कहा कि दलित जो इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, वे एक भी जातीय समूह नहीं हैं क्योंकि वे विभिन्न जाति समूहों से संबंधित हैं। इसलिये उन्हें अनुच्छेद 341 के खंड (2) के अनुसार अनुसूचित जाति (SC) की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है, जिसमें शामिल करने हेतु एकल जातीय समूह की आवश्यकता होती है। (मुख्य परीक्षा, 2014)

प्रश्न. क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिये संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2018)

## स्रोत: द हिंदू